सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलेक्टर, (लोक अदालत), दौसा

पीठासीन अधिकारी– नरेश कुमार शर्मा,
आई0ए0एस0

अपील सं0 05/2016

कजोड मल पुत्र नाथू लाल जाति मीना निवासी खारण्डी तहसील व जिला दौसा ...अपी0

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय तहसील दौसा
2. रामकुंवारी बेवा कजोडमल
3. कालूराम पुत्र कजोडमल
4. राम दयाल पुत्र कजोडमल जाति मीना निवासी खारण्डी तहसील व जिला दौसा ...रेस्पो0

अपील विरूद्व निर्णय ना0सं0 426 दिनाक 17.01.2008
व न्यायालय तहसीलदार दौसा

उपस्थित :1. श्री एम0 एल0 गुर्जर, अधिवक्ता अपीलांट पक्ष
2. श्री बच्चू लाल मीना अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 2 लगायत 4
3. श्री चंद्रशेखर शर्मा, राजकीय अधिवक्ता, पैरोकार सरकार

निर्णय **दिनांक 30.05.2018**

संक्षिप्त वृतांत अपील इस प्रकार है कि तहसीलदार दौसा द्वारा दिनाक 17.01.2008 को ग्राम खारर्ण्डी तहसील दौसा का नामान्तरकरण संख्या 426 विरासत के आधार पर रेस्पो0 सं0 2 लगायज 4 के नाम भरकर तस्दीक कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पो0 को तलब किया गया । माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राजस्थान सरकार (राजस्व ग्रुप–1) विभाग के निर्देशानुसार लोक अदालत का आयोजन कर प्रकरण लोक अदालत में प्रस्तुत किया गया ।

उभय पक्ष उपस्थित । रेस्पो0 मय अधिवक्ता द्वारा दिनांक 15.05.2018 को प्रा0 पत्र प्रस्तुत कर रेस्पो0 नं0 2 के नाम जारी नामा0 सं0 426 दिनाक 17.01.2008 खारिज कर अपीलांट वास्तविक हकदार के नाम सही भरे जाने हेतु रिमाण्ड करने हेतु निवेदन किया गया। इस संबंध में अपीलांट का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश करने हेतु अपीलांट द्वारा दिनांक 30.05.2008 को अपीलांट का मृत्यु प्रमाण पत्र व जमाबंदी पेश की गई। पुनः अपीलांट व रेस्पो0 सं0 2 लगायत 4 ने मय अपने–अपने अधिवक्ता उपस्थित अदालत होकर लोक अदालत की भावना से प्रकरण का निस्तारण करने हेतु निवेदन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। चूंकि मामला सीधा ही निस्तारण करने से पूर्व उसकी जॉच करवाया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। उभय पक्ष द्वारा प्रकरण का निस्तारण लोक अदालत की भावना से करने का निवेदन किया, राजकीय अधिवक्ता ने इसमें अपनी सहमति प्रकट की। प्रकरण का गुणावगुण व प्रस्तुत प्रा0 पत्र के आधार पर लोक अदालत की भावना के अनुसार न्यायहित में रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन नामान्तरकरण सं0 426 दिनाक 17.01.2008 पर पारित आदेश निरस्त किया जाता है । तहसीलदार दौसा को प्रकरण प्रति प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों की जॉच करते हुए सभी पक्षकारान व उनके वारिसान को साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर इस न्यायालय के निर्णय के प्रकाश में विधि सम्मत निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति सहित प्रेषित की जावें। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो ।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांक 30 मई, 2018 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर,दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा